SPeed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांक: 27/09/2018

File No. Tour Programme/10/VC/2018/RU-III

सेवा में,

1. महाप्रबंधक
   वाहन निर्माणी जबलपुर
   जबलपुर, (मध्य प्रदेश) – 482009

2. सीनियर जनरल मैनेजर
   गन कैरिज फैक्टरी
   जबलपुर, (मध्य प्रदेश) – 482011

विषय: दिनांक 16.04.2018 से 17.04.2018 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जबलपुर (मध्य प्रदेश) में वाहन निर्माणी, एवं गन कैरिज फैक्ट्री रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, में की गए समीक्षा का कार्यवृत ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 16.04.2018 से 17.04.2018 तक जबलपुर (मध्य प्रदेश) में वाहन निर्माणी, एवं गन कैरिज फैक्ट्री रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा किए गए समीक्षा की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि समीक्षा रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

OK

भवदीय,

(आर के दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

प्रतिलिपि:

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

27/09/18

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

प्रवास प्रतिवेदन

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियोंके नाम	**सुश्री अनुसुईया उइके** उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार **सुश्री दीपिका खन्ना** अन्वेषण अधिकारी / प्रभारी अधिकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** उपाध्यक्ष के सहायक निज सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार
2. दौरा की तिथि,दिन, दिनॉक, वर्ष	**दिनॉक 16 अप्रैल 2018 से 17अप्रैल 2018 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**जबलपुर (मध्यप्रदेश)**
4. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण संगठनों से मिले	**निम्नानुसार**

1)	श्री नेतराम ठगेला, श्री सोनसिंह आर्मो, श्री एस एस टेकाम, श्री प्यारेलाल दिवाकर, श्री लीलाचंदर, श्री राजेन्द्र सिंह कुशराम, श्री ओमप्रकाश मीना, श्री गोविन्दप्रसाद, श्री अवधेश राम, श्री राजूप्रसाद कोरी, श्री विनोद मांझी, श्री सुभाष वर्मा, श्री हितेन्द्र चौधरी, श्री तिवारी सिंह मरावी, श्री तुलसीदास, श्री श्रवणकुमार, श्री शशिकांत, श्री जगदीश झारिया, श्री सुरेश कुमार, श्री गुलाब चौधरी, श्री मुकेश कुमार, श्री अमितकुमार, श्री भैरूलाल मीना, श्री धर्मेन्द्र राम, श्री विनोद कुमार, एवं अन्य वाहन निर्माणी रक्षा मंत्रालय जबलपुर।
2)	श्री नारायणझारिया, श्री गोविन्द प्रसाद, श्री राजू प्रसाद कोरी, श्री पीएन भारती, श्री राजकुमार गोटिया, श्री राजेन्द्रकुमार सिंह, श्री संजयशाह, श्री सत्येन्द्र कुमार, श्री ब्रजेश कुमार, श्री ओमप्रकाश मीणा, श्रीराम मांझी, श्री विनोद ओराम, श्री महेश कुमार बट्टी, श्री नारायण लाल, श्री उमेश इवने, श्री एल टोप्पो, श्री मुनेश कुमार, श्री मनीश अहिरवार, एवं अन्य कर्मचारी एवं प्रतिनिधि गन कैरिज फैक्टरी भारत सरकार जबलपुर।
3)	श्री राजेन्द्र झारिया, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।
4)	डॉ.अंबेडकर जयंती समारोह में करीब 1000 व्यक्तियों की उपस्थिति रही।
अधिकारीगण	
5)	श्री ए.के.तिवारी वरिष्ठ महाप्रबंधक, वाहन निर्माणी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

6)	श्री ओ.पी. तिवारी वरिष्ठ स.महाप्रबंधक वाहन निमार्णी, रक्षा मंत्रालय भा. सरकार जबलपुर।
7)	श्री डी.सी.श्रीवास्तव, एजीएम वाहन निमार्णी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।
8)	श्री व्ही.बी. चन्द्रा, श्री ए.के.बापट, श्री नारनवरे वाहन निमार्णी,रक्षा मंत्रालय भा.सर.जबलपुर।
9)	लाईजनिंग आफिसर श्री स्वरूप गन कैरिज फैक्टरी जब्लपुर। वाहन निर्माणी जबलपुर
10)	श्री ए.के.तिवारी वरिष्ठ महाप्रबंधक, गनकैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।
11)	श्री एस.के.सिंह, वरिष्ठ महाप्रबंधक, गनकैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।
12)	श्री एच.के.पटनायक एडिशनल जीएम एडमिन, गनकैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।
13)	श्री राहुल चौधरी, एडिशनल जीएम गनकैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।
14)	श्री न्यूली, जाइन्ट जीएम एडमिन गनकैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।
15)	श्रीमती ममता ददैया वर्क्स मैनेजर एडमिन गनकैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।
16)	श्री पलास वर्मन, जाइन्ट जीएम ईओ एण्ड लाईजनिंग आफिसर गनकैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।
17)	श्री दीपक गुप्ता एडिशनल जीएम, क्यूए गनकैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर।

5. दौरे के मुख्य बिन्दु

A. जबलपुरमें आम नागरिकों एवं जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट।

B. डॉ.भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति।

C. वाहन निर्माणी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में कार्यरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के संघों एवं कर्मचारियों से चर्चा एवं सुझाव प्राप्त किये गये।

D. वाहन निर्माणी, रक्षा मंत्रालय, के वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक।

E. गन कैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, में कार्यरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के संघों एवं कर्मचारियों से चर्चा एवं सुझाव प्राप्त किये गये।

F. गन कैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक।

दिनॉक 16अप्रैल2018

1. जबलपुर कम्युनिटी हाल सेक्टर–2 में आल इंडिया डिफेन्स एससी/एसटी कर्मचारी फेडरेशन जबलपुर द्वारा संविधान निर्माता डॉ.बी.आर.अंबेडकर जयंती समारोह में उपस्थित होकर जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विचारों को सुना गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(आल इंडिया डिफेन्स एससी/एसटी कर्मचारी फेडरेशन जबलपुर द्वारा संविधान निर्माता डॉ.बी.आर.अंबेडकर जयंती समारोह में को संबोधित करते हुएसुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं अन्य अतिथिगण)

2. मेरे द्वारा इस अवसर पर डॉ.बी.आर.अंबेडकर जी को श्रद्धाजॅली अर्पित करते हुए उनके द्वारा दिखाई गई राह पर चलने, संविधान में निहित भावना के अनुरूप राष्ट्रनिर्माण में अपना सहयोग करने की अपील उपस्थित जन समूह से की गई।

3. मैंने अपने संक्षिप्त उदबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के उद्देश्य, संवैधानिक प्रावधान, कार्यप्रणाली, अनुसूचित जनजाति समाज के संरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधानों, उनके लिये बनाए गए एक्ट इत्यादि की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

दिनॉक 17 अप्रैल 2018

4. वाहन निर्माणी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, में कार्यरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों के साथ बैठक कर उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन एवं व्यक्तिगत आवेदन पत्र प्राप्त किये गये,जो कि **परिशिष्ठ अ पर संलग्न है।**

(आल इंडिया डिफेन्स एससी/एसटी कर्मचारी फेडरेशन वाहन निर्माणी जबलपुर एवं कर्मचारियों के साथ चर्चा कर सुझाव प्राप्त करते हुएसुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं अन्य अतिथिगण)

5. वाहन निर्माणी के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों एवं फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मौखिक रूप से जो समस्या एवं सुझाव बताए वे इस प्रकार से हैं :–

   A. संस्थान में आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को पदोन्नत किया जा रहा है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

B. लाईजनिंग अधिकारी को जो रोस्टर प्रस्तुत किया गया हैं उसमें गलती है।

C. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति न करते हुए सामान्य वर्ग को पदोन्नत किया जाता है जो कि अनियमितता है।

D. भर्ती एवं पदोन्नति में जानबूझकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के प्रकरण में डीओपीटी के नियमानुसार कार्यवाही नहीं हो रही है।

E. सुव्यवस्थित रोस्टर तैयार करने के लिये सुझाव दिया गया कि नियुक्ति के समय ही रोस्टर पाइंट में नियुक्ति के समय ही आरक्षित वर्ग के व्यक्ति का नाम रख दिया जावे।

F. सुझाव दिया गया कि पदोन्नति में आरक्षण से ही जनजाति वर्ग के कर्मचारियों का भला हो सकता है। इसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए।

G. आर्डिनेन्स बोर्ड में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, सुझाव दिया गया कि बोर्ड में इन वर्गो के हितरक्षण के लिये एक सदस्य इस वर्ग से होना चाहिए।

H. कर्मचारी संघ एवं उपस्थित कर्मचारियों द्वारा सुझाव दिया गया कि आरक्षण उच्चस्तर पर भी होना चाहिए तभी इस वर्ग केअधिकारों का डीओपीटी के नियमानुसार संरक्षण किया जा सकता है।

I. सभी संस्थानों में कार्यरत लाईजनिंग अधिकारियों का नियंत्रण सीधा मंत्रालय अथवा अनुसूचित जनजाति आयोग के अधीन होना चाहिए तभी वे आरक्षित वर्ग के अधिकारों का संरक्षण निष्पक्षता से कर सकते हैं।

J. अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एसोसियेशनों को भी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

K. विभिन्नव्यक्तियों द्वारा जो आवेदन पत्र मुझे प्रस्तुत कर सहायता का अनुरोध किया था उन्हें प्रबंधन को प्रेषित किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट अ में संलग्न है –

6. इसके साथ ही मैंने आयोग के गठन के उद्‌देश्य, कार्यप्रणाली, उसके कार्य इत्यादि से कर्मचारियों एवं उनके संघ के प्रतिनिधियों को अवगत करवाते हुए जागरूक रहने की अपील की गई। मैंने उपस्थितों को अवगत कराया कि संविधान में आपके संरक्षण और मुख्य धारा में लाने के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं। आयोग द्वारा रोस्टर को आनलाईन करने का सुझाव दिया गया है और आपके संस्थान में भी यह सुझाव प्रबंधन को दिया जावेगा। यह भी प्रयास किया जावेगा कि लाईजनिंग अधिकारी सक्षम व्यक्ति को बनाया जावे ताकि वह प्रबंधन के दबाव में काम न करते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करे। आरक्षित वर्ग के लिये भारत सरकार द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के तहत कठोर प्रावधान किये गये हैं इसलिये आप जागरूक एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होकर यदि आपके साथ अन्याय होता है तो इसका प्रयोग करें। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर सक्षम हो गये हैं वे अपने वर्ग के असक्षम व्यक्तियों को सहायता एवं मार्गदर्शित करें। आयोग आपका सुरक्षा कवच हैं। भारत सरकार की भावना के अनुसार आज आयोग जनजाति वर्ग के बीच जा रहा है और उनकी मदद कर रहा है। आपकी जागरूकता से हो आयोग आपको मदद कर सकता है। इस बात का विशेषरूप से ध्यान रखा जावे।

वाहन निर्माणी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर के प्रबंधन के साथ समीक्षा

7. वरिष्ठ महाप्रबंधक वाहन निर्माणी एवं संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संस्थान की प्रगति को पावर

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

पाइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतीकरण के सूक्ष्म अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संस्थान उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए भारत देश के रक्षा मत्रालय अंतर्गत सेना को उच्चकोटी के वाहन एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है जो कि सराहनीय है।

8. संस्थान आईएसओ एनएबीसी से प्रमाणित संस्थान है। संस्थान द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग किया जा रहा है। समय–समय पर आधुनिक तकनीक के आधार पर संस्थान को अपग्रेड किया जा रहा है। संस्थान जर्मनी एवं जापान के सहयोग से निशान जोंगा एवं पॉच अन्य प्रकार के रक्षा वाहन निर्मित कर भारतीय सेना को उपलब्ध कराता है।

9. संस्थान की उपलब्धि एवं राष्ट्रसेवा के लिये संस्थान के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं प्रबंधन को बधाई दी जाती है।

10. संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों एवं संघों से प्राप्त ज्ञापन एवं मांगपत्र के आधार पर संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई उनके द्वारा अपना पक्ष / स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

A. ज्ञापन के बिन्दु क्रमॉक एकएवं दो में पदोन्नति की विसंगति के संबंध में संस्थान द्वारा बताया गया कि शासन के आदेश में भ्रम की स्थिति है। इस पर आयोग से भ्रम के संबंध में स्पष्ट किया गया। प्रबंधन चाहता है कि आयोग अथवा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो वे उसके अनुसार कार्यवाही करेगें। इस संबंध में संस्थान को उक्त एजेन्सियों से मार्गदर्शन मांगने के लिये पत्र लिखने के लिये निर्देशित किया गया।

B. आरक्षित वर्ग को प्रशिक्षण के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि संस्थान में नियमित रूप से प्रशिक्षण होते हैं और यदि कोई विशेष प्रशिक्षण की मांग है तो उसे करवा दिया जावेगा।

C. प्रबंधन द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि भारत सरकार नियानुसार अधिकृत यूनियनों को ही नियमानुसार सुविधाऍ दी जाती हैं यदि यह एसोसियेशन शासन के नियमानुसार होगी तो उन्हें सुविधाऍ दी जावेगी।

D. आयोग में भारत सरकार के नियमानुसार लाईजनिंग अधिकारी नियुक्त है उन्हें आरक्षित वर्ग के प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है।

E. प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान में 34 ट्रेड हैं सभी का रोस्टर अलग अलग संधारित किया जाता है, रोस्टर ओपन है।

F. संस्थान में नियुक्ति नागपुर मुख्यालय से नियमानुसार होती है।

G. संस्थान के 1468 आवास हैं जिनका आवंटन नियमानुसार किया जाता है आरक्षित वर्ग के 253 कर्मचारियों को आवास आवंटित हैं खाली होने पर पात्रता से उपर की श्रेणी के आवास भी आवंटित कर दिये जाते हैं।

H. स्किल डेव्हलपमेन्ट के अंतर्गत 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षत करना है जो कि किया जा रहा है। इसमें भी आरक्षण का ध्यान रखा गया है।

I. रोस्टर की विसंगति के परीक्षण के लिये समिति बनाई गई है जो कि शीघ्र ही प्रतिवेदन देगी जिसके आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(वाहन निर्माणी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर के प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुएसुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, सुश्री दीपिका खन्ना प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय रा.अ.ज.जा.आ.)

दिनॉक 17/4/2018 अपरान्ह गनकैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की समीक्षा

11. दिनॉक 17 अप्रैल 2018 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वाहन निर्माणी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, में कार्य अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों के साथ बैठक कर उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन एवं व्यक्तिगत आवेदन पत्र प्राप्त किये गये, तथा आवश्यकतानुसार संस्थान के प्रतिष्ठान को प्रेषित कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं जो कि परिशिष्ठ ब पर संलग्न है।

12. गन कैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जबलपुर में कार्यरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों एवं फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मौखिक रूप से जो समस्या एवं सुझाव बताए उनका विवरण इस प्रकार से है :–

1) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में बैठक कर ली जाती है जो कि नियमानुकूल नहीं है।
2) यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार मेरिट में आता है तो उसकी पदोन्नति मेरिट आधार पर ही होनी चाहिए, ऐसा संस्थान में नहीं हो रहा है।
3) आनमेरिट आरक्षित वर्ग का कर्मचारी हो तो प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन रोका नहीं जाना चाहिए।
4) रोस्टर को आनलाईन किया जावे तथा रोस्टर संधारण के लिये प्रशिक्षण कराया जाये।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(आल इंडिया डिफेन्स एससी/एसटी कर्मचारी फेडरेशन कनकैरिज फैक्टरी जबलपुर एवं कर्मचारियों के साथ चर्चा कर सुझाव प्राप्त करते हुएसुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

13. वरिष्ठ महाप्रबंधक वाहन निर्माण एवं संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संस्थान की प्रगति को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतीकरण से स्पष्ट होता है कि संस्थान निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए भारत देश के रक्षा मंत्रालय अंतर्गत सेना को उच्चकोटी के हथियार एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है जो कि गौरव की बात है।

14. प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान में लाईजनिंग आफिसर नियुक्त हैं जो नियमित रूप से आरक्षित वर्ग की समस्याओं को सुनकर नियमानुसार उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं।

15. यह संस्थान आर्डिनेन्स बोर्ड के अधीन कार्य करता है और भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करता है।

16. वरिष्ठ महाप्रबंधक गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर द्वाराकर्मचारी संघ के ज्ञापन के संबंध में तथा विभिन्न समस्याओं के संबंध अवगत कराया कि :–

1) फेडरेशन की मांग के अनुसार देशभक्त गोंडवाना साम्राज्य के राजा वीर शंकरशाह कुँवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस 18 सितम्बर को फैक्टरी में शासकीय अवकाश प्रदान किया जावेगा।
2) ज्ञापन के बिन्दु कमांक दो मेंअनुसूचित जाति जनजाति सेल के संचालन के लिये जो सुविधाएँ चाही गई हैं वे उपलब्ध करा दी जावेगी।
3) कर्मचारियों का रोस्टर आनलाईन करा दिया जावेगा।
4) ज्ञापन के बिन्दु 6 के अनुसार प्रशिक्षण कराया जावेगा।
5) ज्ञापन के अन्य बिन्दुओं के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रतिवेदित किया कि कृपया ज्ञापन की प्रति उन्हें दी जावे जिसका वे परीक्षण करवाकर शीघ्र ही निराकरण करायेगें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(आल इंडिया डिफेन्स एससी/एसटी कर्मचारी फेडरेशन कनकैरिज फैक्टरी जबलपुर के प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक मेंसुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, सुश्री दीपिका खन्ना प्रभारी अधिकारी रा.अ.ज.जा.आ.)

17. मैंने अपने संक्षिप्त उदबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के उद्देश्य, संवैधानिक प्रावधान, कार्यप्रणाली, अनुसूचित जनजाति समाज के संरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधानों, उनके लिये बनाए गए एक्ट इत्यादि की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

18. वरिष्ठ महाप्रबंधक, गनकैरिज फैक्टरी में उत्पादित की जा रही तोप का निरीक्षण का अनुरोध किया गया, निर्माणाधीन धनुश तोप जो कि विश्व की सबसे उत्तम तोप है, का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि संस्थान का यह प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है और यह तोप बोफोर्स तोप से भी अधिक दूरी की मारक क्षमता रखती है। इसका विकास संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अथक प्रयासों से भारत में ही इसी संस्थान में किया गया है।

19. संस्थान के इस अद्वितीय कार्य के लिये सभी कर्मचारियों, प्रबंधन एवं समस्त अधिकारियों की सराहनीय की जाती है। आशा है संस्थान निरंतर देशसेवा में देश की सेना को उत्तम श्रेणी के हथियार कम लागत में उपलब्ध कराता रहेगा।

(गनकैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, जबलपुर में निर्मित हो रही तोप का निरीक्षण करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, सुश्री दीपिका खन्ना प्रभारी अधिकारी रा.अ.ज.जा.आ.)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

20. समस्त वाहन चालक, वाहन निर्माणी जबलपुर द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने पदोन्नति में लगने वाली समय सीमा को कम करने का अनुरोध किया गया इस पत्र को आयोग में प्रस्तुत किया गया है। संबंधित कक्ष एवं संस्थान से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

21. दिनॉक 17 अप्रैल 2018 जबलपुर–दिल्ली प्रस्थान, प्रवास सम्पन्न।

6.	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	❖ प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 4 में वर्णित ज्ञापन जो कि वाहन निर्माणी जबलपुर को भेजा गया है का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन भेंजें। ❖ प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 5 में वर्णिततथ्यों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित संस्थान को भेजे गये पत्र का अनुशरण करने की अनुशंसा की जाती हैं। ❖ वरिष्ठ महाप्रबंधक, रक्षा नंत्रालय, भारत सरकार, वाहन निर्माणी जबलपुर एवं गन कैरिज फैक्टरी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, वाहन निर्माणी जबलपुर बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार तथा भेजे गये ज्ञापन के अनुसार कार्यवाही कर प्रतिवेदन ग्रेषित करें। ❖ गन कैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, जबलपुर कर्मचारी संघ का ज्ञापन जो कि उन्हें पोष्ट से भेजा गया है उस पर नियमानुसार कार्यवाही का प्रतिवेदन आयोग को शीघ्र प्रेषित करें। ❖ मा.न्यायालय के निर्देश के परिपेक्ष्य में सभी प्रकार की पदोन्नति पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का जो निर्देश जारी किया गया है उसको समझने में भ्रम की स्थिति है,उसे स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। तदानुसार कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है। इस संबंध में आयोग स्तर से भारत सरकार को पत्राचार कर स्पष्टीकरण

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

		जारी कराया जावे या जारी हो चुका है तो उसकी प्रति संबंधित संस्थानों को तत्काल भेजी जावे। ❖ प्रायः देखा जा रहा है कि विभागों एवं संस्थानों में रोस्टर बनाने में अधिकारी / कर्मचारी कुशल नहीं नहीं उनमें भ्रम की स्थिति हैं, उपयुक्त होगा कि प्रायः सभी संस्थानों में रोस्टर संधारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका प्रशिक्षण कुशल व्यक्तियों से कराया जावे और रोस्टर को आनलाईन किया जावे ताकि सभी अपनी सुविधा से देख सकें। ❖ जबलपुर स्थित रक्षा मंत्रालय केदोनों ही संस्थानों में कर्मचारी संघों द्वारा एवं अन्य स्थानों पर भी यह अवगत कराया गया गया है कि उनकी पदोन्नति पर वर्ष 2016 से रोक लगा दी गई है। इसकी वजह संस्थान द्वारा यह बताई गई कि मा.सर्वोच्च न्यायालय में लंवित प्रकरण के परिपेक्ष्य डीओपीटी के द्वारा वर्ष 2016 में जो आदेश जारी किया गया है उसमें निर्देश दिये गये हैं कि वर्ष 2010 के डीओपीटी के आदेश को ध्यान में रखकर ही पदोन्नति की जावे, जिसको सभी के द्वारा यह मान लिया गया है कि अब पदोन्नति नहीं की जानी है औरपदोन्नति नहीं हो पा रही है। इस संबंध में अनुशंसा की जाती है कि आयोग डीओपीटी एवं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से अनुशरण करते हुए सभी विभागों को इसका स्पष्टीकरण जारी करावें ताकि पदोन्नति नियमानुयार जारी रह सके। ❖ वाहन निर्माणी एवं गन कैरिज फैक्टरी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय सेना के लिये क्रमशः उच्चकोटि के **सेना वाहन एवं तोपगाडी तथा बन्दूक निर्मित** कर उपलब्ध करा रहे हैं। उक्त कार्य उच्चश्रेणी में आते हैं इसलिये मैं आयोग की ओर से दोनो संस्थानों की प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ।

(सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi